4 कर मुक्त आय

Income Exempt from Tax

आयकर अधिनियम की धारा 10 में पूर्णतः/आंशिक रूप से करमुक्त आय का विवरण है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण शीर्षकों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

धारा 10 (1) भारत में अर्जित कृषि पूर्णतः कर मुक्त, परंतु 5,000 रू. से अधिक होने पर आयकर की गणना करते समय (For slab Purpose) कुल आय में जोडना आवश्यक है।

धारा 10 (2) हिन्दु अविभाजित परिवार के आय का हिस्सा सदस्यों के लिए पूर्णतः कर मुक्त।

धारा 10 (2A) साझेदारी फर्म की कर निर्धारण के पश्चात आय में से साझेदार का हिस्सा पूर्णतः कर मुक्त।

धारा 10 (10) जीवन बीमा पालिसी से बोनस सहित कुल प्राप्त राशि, निम्न को छोड़कर, पूर्णतः कर मुक्त।

i. धारा 80 DD/DDA के तहत निर्धारित बीमा योजना तथा की मेन इन्श्योरंस पॉलिसी से प्राप्त राशि।

ii. 01.04.2003 को या उसके बाद जारी ऐसी जीवन बीमा पालिसी, जिसकी वार्षिक प्रीमियम, बीमा धन के 20 प्रतिशत से अधिक हो तथा यदि बीमित व्यक्ति जीवित हो, तो ऐसी योजनाओं से प्राप्त राशि (पूर्णतः कर योग्य)

धारा 10 (15) सरकार द्वारा अधिसूचित रिलीफ बाण्ड्स तथा पोस्ट आफिस बचत खातें आदि से प्राप्त ब्याज पूर्णतः कर मुक्त।

धारा 10 (16) शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियां पूर्णतः कर मुक्त।

धारा 10 (17) सांसद एवं विधायकों को प्राप्त दैनिक भत्तें, पूर्णतः कर मुक्त परंतु वेतन करयोग्य। सांसदों को प्राप्त अन्य भत्ते पूर्णतः कर मुक्त परंतु विधायकों को प्राप्त अन्य भत्तें, अधिकतम 2,000 रू. प्रतिमाह की सीमा तक, कर मुक्त।

धारा 10 (20) स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर निगम आदि की आय पूर्णतः कर मुक्त।

धारा 10 (22) भारत में स्थित केवल समाचार पत्र इकट्ठा व वितरण करने वाली समाचार एजेन्सी की आय शर्तो सहित कर मुक्त।

धारा 10 (23C) ऐसी युनिवर्सिटी, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्था, अस्पताल या अन्य चिकित्सकीय संस्थान,

i. जिनका वित्तपोषण पूर्व रूप से या प्रभावी रूप से सरकार द्वारा किया जाता हो या,

ii. जिसकी सकल प्राप्तियां निर्धारित सीमा से अधिक ना हो अथवा,

iii. जो अधिकृत सत्ता (Prescribed Authority) में अनुमोदित हो, तो इनकी आय शर्तों सहित कर मुक्त होगी।

धारा 10 (23D) अधिसूचित म्यूचूअल फंडों की आय, पूर्णतः कर मुक्त होती है। परन्तु व्यक्तियों एवं HUF को दिये जाने वाले लाभांश पर 12.5 प्रतिशत की दर से धारा 115R के तहत म्यूच्अलफंडों द्वारा आयकर देय।

धारा 10 (24) पंजीकृत कर्मचारी संघों की मकान संपत्ति एवं अन्य साधनों से आय, कर मुक्त होगी।

धारा 10 (25) मान्यता प्राप्त प्रविडेंट/ग्रेच्युटी/सुपरएन्युएशन फंड की आय कर मुक्त।

धारा 10 (32) अवयस्क बच्चे की आय, प्रथम 1500 रू. तक कर मुक्त होगी, अर्थात् 1500 रू. से अधिक होने पर, शेष राशि को उसके माता–पिता, जिसकी आय अधिक हो, में जोड़ दिया जाता है।

धारा 10 (34) 1.4.2003 के बाद धरेलू कंपनी द्वारा दिया जाने वाला लाभांश निवेशकों के हाथों में कर मुक्त

धारा 10 (38) सिक्युरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लागू होने के बाद, दिनांक 01.10.2004 से शेयरों, इक्विटी लिंक्ड म्यूचूअल फंडों के यूनिटों के अंतरण (Transfer) से होने वाले दीर्घकालिक (1वर्श से अधिक रखने पर) पूंजी अधिलाभ।

धारा 13 (A) राजनैतिक पार्टी को मकान संपत्ति, पूंजी अधिलाभ तथा अन्य साधनों (चंदा) से होने वाली आय करमुक्त।

नोटः कर्मचारियों एवं पेंशनर्स से संबंधित कर मुक्त आय का विवरण क्रमशः पृष्ठ क्र.19 व 24 में दिया गया है।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:26 PM